166/15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 166 / 2005
जीसीएमएस : 2005 / 00004

1.अजायब सिहं पुत्र महेन्द्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—:वादी

बनाम

1. महेन्द्र पाल सिहं पुत्र श्री करतार सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिंह वाला(झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   1 / 1–दलीपकौर पत्नि श्री महेन्द्र पालसिहं जाति जटसिख निवासी वाला(झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

2–नायब सिहं पुत्र श्री महेन्द्र पालसिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

3–जीत कौर बेवाह मेजर सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

4–माल सिहं पुत्र मेजर सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

5–सरजीतकोर बेवा महेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

6–ज्ञान सिहं पुत्र महेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

7–निर्मलसिहं पुत्र महेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

8–सरजीतकौर पुत्री करतार सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

9–अमरजीतकौर पुत्री करतार सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

10–स्वर्ण सिहं पुत्र हजूर सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

11–जसकरण सिहं पुत्र हजूर सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

12–गुरदेवसिहं पुत्र करनेल सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

13–हरकेवल सिहं पुत्र मेजरसिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

14–गुरजन्ट सिहं पुत्र मेजर सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

15–जसपालकौर पत्नि कलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

16–हकुमतसिहं पुत्र कलवन्त सिहं जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

17–सुखचरणकौर पुत्री कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

18–जसवीरकौर बेवा हरकिरतसिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

19–किरणदीपकौर पुत्री हरकिरत सिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

20–निशानसिंह पुत्र नत्था सिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

21–दर्शन सिंह पुत्र काला सिंह जाति नाईसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

22–गुरदेव सिंह पुत्र काला सिंह जाति नाईसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

23–लखविन्द्र सिंह पुत्र काला सिंह जाति नाईसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

24–नीलूसिंह पुत्र लाल सिंह जाति नाईसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

25–हजारा सिंह पुत्र हीरा सिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

26–चननसिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहं वाला (झोटावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

27–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

28–उप पंजीयक , उप तहसील मुकलावा।

29–सुखजीतकौर पुत्री महेन्द्र पाल सिंह पत्नि हरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिंह वाला हाल 7 एन पी तहसील रायसिहंनगर।

–:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,53, आर.टी.एक्ट

तारीख रजू 30.09.2005

उपस्थिति :–

श्री बुधराम विश्नोई वादी अधिवक्ता

श्री प्रीतम सिंह गिल प्रतिवादीगण अधिवक्ता

–:निर्णय :– दिनांकः–18.03.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अजायब सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी जगतसिहंवाला(झोटावाली) तहसील रायसिहंनगर ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–53 राज.काश्त. अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक चक 13 टीके के मु.नं. 4 प. नं. 132/293 में 1.898 है. व मु.नं. 14 प.नं. 136/295 में 1.012है., मु.नं. 26 प.नं. 136/296 में 0.645 है. व मु.नं. 30 प.नं. 140/296 में 4.301 है. [illegible] है. खाता सं. 45/38 व इसी चक का खाता सं. 120/115 का [illegible] 136/295 में 0.379 है. में 1/3 हिस्सा तादादी 0.042है. [illegible] मु.नं. 7 प.नं. 142/297 में 0.987 है. मु.नं. 18 [illegible] 299 में 2.40[illegible] मु0नं. 19 पं. 145/299 में 2.340 है. कुल तादादी 5.7[illegible] व खाता सं. 66/69 का मु.नं 2 प.नं. 144/296 में 5.060 है. [illegible] खाता सं. 70/63 में मु.नं. 10 पं.नं. 145/297 में 4.807 है. मु.नं. 11 पं. नं. 145/298 में 1.771 कुल 6.578 है. में

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

1/3 हिस्सा तादादी 2.193 है. व खाता सं. 76/73 मु.नं 2 प.नं. 144/296 में 0.569 है. में 285 है. नहरी खाता संख्या 42/43 मु.नं. 20 पं. नं. 144/300 में 6.325है. में 1/5 हिस्सा तादादी 1.265 है. नहरी खातेदारी भूमि है इस प्रकार प्रति. सं. 1 महेन्द्रपालसिंह की उक्त दोनों चक 13टीके व 15 टीके में कुल भूमि 8.966 है नहरी खातेदारी भूमि है । उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से पैतृक तथा जदी जायदाद होने के कारण वादी अपना 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करवाने का पूर्ण रूप से अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वक पैतृक तथा जदी जायदाद होने के कारण अपने नाम की भूमि को किसी भी तरह से हस्तान्तरण तथा मुन्तकिल करने से बाज व ममनु रहे। प्रतिवादी सं. 3 ता 26 सहकाश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 27 भूमि मालिक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वह भी अपना खाते अलग करवा सकते है।

2. वाद पत्र में वर्णित भूमि चक 13 टी के एवं 15 टी के तहसील रायसिंहनगर की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम कुल 8.966 है0 नहरी भूमि पैतृक तथा जदी जायदाद होने के कारण वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का बहिस्सा बराबर बराबर माना जाकर वादी को 1/3 हिस्सा की भूमि तादादी 2.988 है0 नहरी भूमि का खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री पारित की जावे। वादी व प्रतिवादी सं. 1–2 का भूमि का किले वाईज विभाजन भी किया जावे। उक्त भूमि पैतृक व जदी जायदाद होने के कारण अपने नाम की भूमि को किसी भी तरह से हस्तान्तरण तथा मुन्तकिल करने से बाज व ममनु रहे। खर्चा वाद दिलाया जावे।

3. वादी के द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री प्रीतम सिहं गिल अधिवक्ता हाजिर आये। प्रतिवादी सं. 4 ता 17 , 20 ता 26 हाजिर नहीं आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 व 3 फौत होने पर उसके वारिस रिकॉर्ड पर लिये गये। प्रतिवादी सं. 1–2 का जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 29 सुखजीतकेर का जबाव दावा में वाद पत्र में अंकित तथ्य का विरोध प्रकट करते हुये प्रस्तुत किया। जबाव स्टेट प्रतिवादी सं. 27 ने प्रस्तुत किया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी ने अपने तहरीर साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। तथा प्रतिवादी ने अपने तहरीर साक्ष्य में स्वयं महेन्द्रपाल सिहं व नायब सिंह का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

4. पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया। सुनने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अजायबसिंह पुत्र महेन्द्रपालसिंह निवासी झोटावाली (जगतसिंह वाला) ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,53 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी सं. 1 ता 29 के विरूद्व प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपने पिता महेन्द्रपालसिंह प्रति सं. 1 के विरूद्व अनुतोष चाहा है। कि प्रतिवादी के नाम से दर्ज भूमि में से वादी का हिस्सा दिलाया जावे। दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर पीतमसिंह गिल हाजिर आये। प्रति. सं. 3 ता 17, 20,21,24,2[illegible] विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादी सं. 27 व स्टेट [illegible] जवाब पेश हो चुका है। प्रति सं. 18,19 में जवाब पेश किया। कि [illegible] हिस्सा अलग [illegible] जाकर प्रतिवादी के नाम किया जावे। प्रति सं. 12 की मृत्यु [illegible] चुकी है उसके [illegible] रिकार्ड पर लिया जावे । प्रतिवादी सं. 1,2 ने अपने जवाब [illegible] जवाब पेश किया। प्रति सं. 29 सुरजीतकौर ने जवाब दावा विरोध प्रकट करते [illegible] दावा पेश किया। वादी ने दिनांक 24.02.016 को प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

महेन्द्रपालसिंह का देहान्त दिनांक 07.01.2016 को चुक है उसकी पत्नी के रिकार्ड पर लिया जावे । जो प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया। संशोधन वाद पत्र शीर्षक प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में दिनांक 03.02.2011 तनकी कायम की गई । वादी द्वारा अपने पक्ष में स्वयं अजायबसिंह पुत्र महेन्द्रपालसिंह ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी गण की ओर से शपथ पत्र महेन्द्रपालसिंह पुत्र करतारसिंह तथा नायबसिंह पुत्र महेन्द्रपालसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. वादी एवं प्रतिवादीगण दोनो पिता एवं पुत्र है अन्य प्रतिवादी गण सह खातेदार है वादी ने अपने दावे में अपने पिता महेन्द्रपाल सिंह प्रति. सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 13 टीके के मु.नं. 4 प. नं. 132/293 में 1.898 है. व मु.नं. 14 प.नं. 136/295 में 1.012है., मु.नं. 26 प.नं. 136/296 में 0.645 है. व मु.नं. 30 प.नं. 140/296 में 4.301 है. कुल तादादी 7.856 है. नहरी में 2.619 है. खाता सं. 45/38 व इसी चक का खाता सं. 120/115 का मु.नं. 14 प.नं. 136/295 में 0.379 है. में 1/3 हिस्सा तादादी 0.042है. व चक 15टीके का खाता नं. 55/51 मु.नं. 7 प.नं.142/297 में 0.987 है. मु.नं. 18 प.नं. 144/299 में 2.403 है. व मु0न. 19 पं. 145/299 में 2.340 है. कुल तादादी 5.730है. में 6/20 हिस्सा तादादी 1.719 है. व खाता सं. 66/69 का मु.नं 2 प.नं. 144/296 में 5.060 है. में 0.843 है. खाता सं. 70/63 में मु.नं. 10 पं.नं. 145/297 में 4.807 है. मु.नं. 11 पं. नं. 145/298 में 1.771 कुल 6.578 है. में 1/3 हिस्सा तादादी 2.193 है. व खाता सं. 76/73 मु.नं 2 प.नं. 144/296 में 0.569 है. में .285 है. नहरी खाता संख्या 42/43 मु.नं. 20 पं. नं. 144/300 में 6.325है. में 1/5 हिस्सा तादादी 1.265 है. नहरी खातेदारी भूमि है इस प्रकार प्रति. सं. 1 महेन्द्रपालसिंह की उक्त दोनों चक 13टीके व 15 टीके में कुल भूमि 8.966है नहरी खातेदारी भूमि है प्रति. सं. 1 को यह भूमि अपने दादा सुन्दरसिंह पुत्र श्री हीरासिंह की मृत्यु के बाद अपने पिता करतारसिंह को बतौर मिली विरास्तन के आधार पर अपने पिता को मृत्यु उपरान्त विरास्तन में मिली भूमि में से प्रति. सं. 1 को मिली भूमि में से वादी ने अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हो चुकी है यह बात वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता स्वीकार करते है ऐसी स्थिति में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है

—:आदेश:—

अतः विवादित भूमि चक 13 टीके के मु.नं. 4 प. नं. 132/293 में 1.898 है. व मु.नं. 14 प.नं. 136/295 में 1.012है., मु.नं. 26 प.नं. 136/296 में 0.645 है. व मु.नं. 30 प.नं. 140/296 में 4.301 है. कुल तादादी 7.856 है. नहरी में 2.619 है. खाता सं. 45/38 व इसी चक का खाता सं. 120/115 का मु.नं.14 प.नं. 136/295 में 0.379 है. में 1/3 हिस्सा तादादी 0.042है. व चक 15टीके का खाता नं. 55/51 मु.नं. 7 प.नं.142/297 में 0.987 है. मु.नं. 18 प.नं. 144/299 में 2.403 है. व मु0न. 19 पं. 145/299 में 2.340 है. कुल तादादी 5.730है. में 6/20 हिस्सा तादादी 1.719 है. व खाता सं. 66/69 का मु.नं 2 प.नं. 144/296 में 5.060 है. में 0.843 है. खाता सं. 70/63 में मु.नं. 10 पं.नं. 145/297 में 4.807 है. मु.नं. 11 पं. नं. 145/298 में 1.771 कुल 6.578 है. में 1/3 हिस्सा तादादी 2.193 है. व खाता सं. 76/73 मु.नं 2 प.नं. 144/296 में 0.569 है. में .285 है. नहरी खाता संख्या 42/43 मु.नं. 20 पं. नं. 144/300 में 6.325है. में 1/5 हिस्सा तादादी 1.265 है. नहरी खातेदारी भूमि है इस प्रकार प्रति. सं. 1 महेन्द्रपालसिंह की उक्त दोनों चक 13टीके व 15 टीके में कुल भूमि 8.966है नहरी खातेदारी भूमि है में प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु पश्चात् उसके जायज वारिसों की जांच कर वारिसों के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

166/15

विरासतन इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे । बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी आश्य की डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner